



Neutral Citation No. - 2026:AHC:31493

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3763/2026

मुसईयद अंसारी

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: महेंद्र सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 41 के अंतर्गत याची द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार तहसील घोरावल, जनपद सोनभद्र द्वारा याची के पक्ष में दिनांक 20.08.2005 को एक आदेश पारित किया गया था।
2. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन होने के बाद, निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा खंभे खड़े कर दिए गए थे, जिसके कारण याची द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष एक प्रत्यावेदन दिया गया है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका को याची को आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार तहसील घोरावल, जनपद सोनभद्र के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देते हुए निस्तारित किया जाता है। यदि याची ऐसा करता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 मामले में उचित आदेश पारित करेंगे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

सकलन।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"